सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-**3**, भोपाल- **462016**

फोन-**0755-2556916**, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

विषयः- दिनांक 12 मार्च 2025 को आयोजित विभागीय वी.सी का कार्यवाही विवरण।

--00--

दिनांक **12 मार्च 2025** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय के अधिकारी एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेंसिंग में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई।
2. दिव्यांग अनुभाग द्वारा संचालित योजनाओं मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण एवं मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शिकायतों में लंबित शिकायतों वाले जिले से चर्चा कर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. इसी प्रकार कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह योजना से संबंधित लंबित शिकायतों की समीक्षा की जाकर एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
4. पेंशन पोर्टल पर निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई। जिसमें यह पाया गया कि पूरे प्रदेश में पेंशन के बहुत अधिक आवेदन लंबित है। अतः समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में किया जाये, अनावश्यक जॉच के नाम पर आवेदनों को लंबित नहीं रखा जाये। समस्त जिला अधिकारी पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड की समीक्षा करें एवं आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करें।
5. **Igot Portal** पर सभी अधिकारीयों / कर्मचारियों का पंजीयन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कोर्स पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी सेवाएं **0-5**वर्ष है, वे **COMMIT_Madhya_Pradesh** कोर्स करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. विभाग अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की सुविधा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने तथा भवन संधारण तथा पर्याप्त सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देशित किया गया।
8. योजना क्रमांक **(2245)** नशाबंदी कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष **2019-20** से **2023-24** तक ग्वालियर, उज्जैन, रायसेन, भिण्ड, अशोकनगर, गुना, अलीराजपुर, खण्डवा,

खरगौन, धार, छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल, आगर मालवा, मंदसौर एवं शाजापुर आदि जिलों से उक्त जानकारी विभागीय वी.सी दिनांक तक अप्राप्त है। संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9. **जिला स्तरीय नशामुक्ति समिति** की वर्ष वर्ष **2023** एवं **2024** में आयोजित बैठको व उनके कार्यवाही विवरण की जानकारी जिलों से अप्राप्त होने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं संचालनालय को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

द्वारा - 24.3.25
सहायक संचालक (सा.का.प्र)

(डॉ.श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण, मप्र.
21-03-2025

I/224267/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त/उप संचालक, मुख्यालय संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला-समस्त, म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत म.प्र.।
9. समस्त प्रशासकीय अधिकारी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, म.प्र.।
10. जिला समग्र संयोजक/समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश।

द्वारा
24.3.25
सहायक संचालक (सा.का.प्र)

(डॉ.श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण, मप्र.